शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.II, pp (841-846) April - June 2019

प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों एवं अर्द्धशिक्षकों की दशा – एक अध्ययन

डा0 अन्जु गुप्ता
ईस्माइल नेशनल पी.जी. कालेज,
मेरठ

सिन्धु चौधरी
शोधार्थी

Email : dranju1612@gmail.com

सारांश

प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा पर ध्यान देकर हम शिक्षित समाज और आदर्श राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते है। सभी बच्चे शिक्षा के आवश्यक स्तरों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए भारत सरकार का जोर विशेष तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधारों पर है। वास्तव में अशिक्षा एक जटिल समस्या है और इसका कोई एक सर्वमान्य हल प्राप्त कर लेना इतनी जल्दी सम्भव भी नहीं है। यह सुधार क्रमिक रूप से ही लागू किया जा सकता है और क्रमिक रूप से प्रभावी भी हो सकता है। हमारा देश विविधताओं वाला एक देश है।

प्रस्तावना

विभिन्नताओं के साथ–साथ कई विसंगतियों और विषमताएँ भी है। जाहिर है कि इतनी सारी समस्याएँ किसी जादू की छड़ी से दूर नहीं की जा सकती है। इसके लिए क्रमागत रूप से प्रयास करने होंगे। पहले आवश्यक भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी को दूर करना होगा तत्पश्चात् ही शिक्षा के गुणात्मक सुधार की बात सोची जा सकती है। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन योजना, शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कुछ ऐसी ही प्रमुख योजनाएँ हैं जो धीमे–धीमे ही सही, शिक्षा के प्रचार–प्रसार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ''नेशनल युनिवर्सिटी आफॅ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,नई दिल्ली द्वारा 30 सितम्बर 2015 में ''एलीमेन्ट्रेरी एजुकेशन इन इण्डिया प्रोगेरस टूर्वाड यू.ई.ई. में प्रकाशित सोहलवें अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल 1449078 प्राथमिक विद्यालय है। वर्ष 2013–14 भारत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या 1448712 थी, वही संख्या वर्ष 2014–15 में बढ़कर 1445807 तथा वर्ष 2015–16 में बढ़कर 1449078 हो गई है। जिसमें भारत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 240332 थी। वही संख्या वर्ष 2014–15 में बढ़कर 243014 हो गई तथा वर्ष 2015–16 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 245919 हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नम्बर मध्य प्रदेश का है वहॉ पर वर्ष 2013–14 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 142844

थी। वर्ष 2014–15 में घटकर 142512 रह गई। तीसरे स्थान पर राजस्थान है। वर्ष 2013–14 राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 119574 थी। वर्ष 2014–15 में राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 106254 रह गई। वर्ष 2015–16 में राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 107931 हो गई। सबसे कम विद्यालयों की संख्या दमन एवं दीप व दादर नगर हवेली में है। दमन एवं दीप में वर्ष 2013–14 में प्राथमिक विद्यालयों के संख्या 113 थी। वही वर्ष 2014–15 में बढ़कर 120 हो गई तथा वर्ष 2015–16 में भी 120 ही रही। दादर नगर हवेली में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2013–14 में 319, वर्ष 2014–15 में 320 तथा वर्ष 2015–16 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 325 हो गई।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बढ़ती मॉग

विभिन्न राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता और अतिरिक्त भौतिक बुनियादी ढॉचे और शिक्षको की कमी के कारण प्रत्येक राज्य में समरूपता नही पायी गयी है। राज्यो में जनसंख्या का ऑकड़ा विभिन्न होने के कारण शिक्षा के बुनियादी ढ़ॉचे में अन्तर पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक विद्यालयो में नामांकित बच्चो की तुलना में भौतिक बुनियादी संसाधनों की कमी होने लगी है जनसंख्या वृद्धि के बीच प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या और भागीदारी तेजी से बढ़ रही है परन्तु उनका प्रदर्शन अच्छा नही है। छात्र की अनुपस्थिती ही उनको शिक्षा में पीछे की तरफ खींचती है जिसके कारण छात्र शिक्षा से दूर भागते है। कुछ विशेष समूह के बच्चे अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन तथा ठहराव सामान्य श्रेणी के बच्चों से अभी भी बहुत कम है। गत 12–13 वर्षो से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मे गुणवत्ता लाने के बहुत प्रयास किये जा रहे है, डी0पी0ई0पी0 सर्वशिक्षा अभियान जैसी परियाजनाएँ प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने, नामांकन एवं ठहराव लाने में अग्रसर है। स्कूलों चलो अभियान से नामांकन में बहुत वृद्वि हुई है।

उक्त सभी परियोजनाओं से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, परन्तु आज भी भारत वर्ष में बच्चों के लिए ''सर्व शिक्षा अभियान'' का प्रावधान लागू करने में भारत सरकार को हार का ही सामना करना पड़ा है क्योकि उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे बड़े राज्यों में शिक्षण सामग्री व शिक्षक दोनो की ही कमियॉ पाई गयी है। जिसके कारण शिक्षको की मांग गम्भीर बनी हुई है। प्रत्येक राज्य अधिकांश प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के प्रभावी विकास के लिए केन्द्र सरकार की मदद पर निर्भर है। अतिरिक्त शिक्षकों की नियमित रूप से नियुक्ति में जिस खर्च की आवश्यकता होती है उसे वहन करने में इन राज्यों को काफी कठिनाई होती है। इस प्रकार इस वित्तीय बोझ को कम करने का उपाय अनुबंधात्मक आधार पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति है। जिसके तीन कारण है –एक यह कि राज्य को शिक्षको की नियुक्ति की जटिल प्रक्रिया से निजात मिलती है दूसरे इन्हे नियमित शिक्षको की तुलना में बहुत कम वेतन देना पड़ता है। शिक्षामित्र होने के कारण इन्हें उनही के ग्राम में ही नियुक्ति दी गई जिसके कारण इनके रहन–सहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षको की संख्या

सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षको की संख्या में भारी कमी आई। वर्ष 2013–14 में यह संख्या 53624 थी। वही संख्या घटकर वर्ष 2014–15 में 538531 रह गई तथा वर्ष 2015–16 में 529650 रह गई। जिसके कारण अध्यापकों का प्रतिशत क्रमाश 55.05, 53. 56, 51.98 रह गया। जैसे–जैसे वर्षो का क्रम बढ़ता गया महिला अध्यापिका भी कम होती गई। वर्ष 2013–14 में महिला अध्यापिका संख्या 77.88 प्रतिशत थी वही वर्ष 2014–15 में महिला अध्यापिका 76.75 प्रतिशत हो गई तथा वर्ष 2015–16 में महिला अध्यापिका की संख्या 77.06 प्रतिशत रह गई अर्थात सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 25.94 प्रतिशत पुरूष शिक्षकों की भागीदारी रही।

नेशनल युनिवर्सिटी आफॅ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,नई दिल्ली द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर 30 सितम्बर 2015 में ''एलीमेन्ट्रेरी एजुकेशन इन इण्डिया प्रोगेरस टूर्वाड यू.ई.ई. में प्रकाशित सर्वे के अनुसार कुल अध्यापको की संख्या 389023 हैं। जिसमें अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या 157902 तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की संख्या 98998 है तथा अन्य पिछडे वर्ग के अध्यापको की संख्या 13223 है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों का प्रतिशत सामान्य शिक्षकों की अपेक्षा काफी कम है। प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण कालिक अध्यापकों की संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के क्रमश 34.33 प्रतिशत 8.64 प्रतिशत हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यापक 12.45 प्रतिशत है ऑकड़ों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की संख्या सबसे कम है।

देश में शिक्षको की भारी कमी है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की हालिया रिपोर्ट में भी इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि देश को इस वक्त तकरीबन 12 लाख शिक्षकों की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अनुसार फिलहाल पहली से आठवी तक 12 लाख स्कूलों के लिए 7.5 लाख शिक्षकों की कमी है। अभी भी देश में एक करोड़ बच्चे ऐसे है जो स्कूल जाने से वंचित है इन्हे शिक्षा देने के लिए सरकार को 5 लाख शिक्षकों की और आवश्यकता है। इसी कमी को दूर करने का एक प्रयास पैरा–शिक्षको के रूप में अध्यापकों की भर्ती भी है। उत्तर प्रदेश में इन्हे शिक्षामित्र कहा जाता है।

उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक या अर्द्धशिक्षकों (शिक्षामित्र) वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय

सामान्यत प्राथमिक विद्यालयों में अपेक्षित अध्यापकों की संख्या पॉच या इससे अधिक होती है क्योकि प्राथमिक विद्यालयों में 1 स 5 तक कक्षॉयें चलती है और प्रत्येक कक्षा मे कम से कम एक अध्यापक होना आवश्यक है। 43.30 प्रतिशत विद्यालयों में 2 शिक्षक कार्य कर रहे है। जिसमे से एक शिक्षामित्र है जिसका कारण 2002 में निशुल्क शिक्षा अभियान रहा है। परन्तु सर्वेक्षण के ऑकड़ों के अनुसार देश में कुछ विद्यालयों ऐसे भी पाये गये है जहॉ पर कोई अध्यापक नही है या केवल एक अध्यापक अथवा पॉच से कम अध्यापक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14

चरण	
प्रथम	
द्वितीय	
तृतीय	
चतुर्थ	
पंचम	
छठा	
सातवां	

में एक शिक्षक वाले विद्यालय 7.01 प्रतिशत थे जो वर्ष 2014–15 में 6.80 प्रतिशत रह गये और वर्ष 2015–16 में बढ़कर 8.44 प्रतिशत हो गये।

राज्य/क्रेन्द्र शासित प्रदेश	भारत में एक शिक्षक या अर्द्ध शिक्षकों वाले विद्यालयों की संख्या					
	प्रारम्भिक विद्यालय			सभी विद्यालय		
	2013–14	2014–15	2015–16	2013–14	2014–15	2015–16
बिहार	12.26	8.41	7046	7.03	4.77	4.18
चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ	7.74	7.10	4.83	6.36	5.66	4.02
दादरा और नगर हवेली	24.31	23.86	2.26	15.05	14.38	1.24
दमन और दीव	1.82	0.00	1.69	0.88	0.00	0.83
दिल्ली	0.07	0.43	0.29	0.04	0.24	0.17
गोआ	16.31	16.40	10.48	11.00	11.03	6.98
गुजरात	3.92	3.43	3.20	1.73	1.43	1.27
हरियाणा	4.31	5.04	5.45	3.30	3.28	3.62
हिमाचल प्रदेश	6.33	4.44	6.48	4.41	3.30	4.57
जम्मू और कश्मीर	6.69	5.33	6.33	3.53	2.80	3.34
कर्नाटक	7.74	8.85	9.18	3.89	4.64	5.00
केरल	1.88	1.76	1.53	0.99	0.93	0.84
मध्य प्रदेश	14.46	13.46	12.99	13.03	12.38	12.45
महाराष्ट्र	2.07	3.58	3.46	1.22	2.05	1.98
मणिपुर	6.54	5.05	8.34	3.96	3.17	5.18
उडीसा	8.11	8.57	4.51	5.13	5.20	2.91
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	6.17	6.32	8.22	3.53	3.78	4.60
राजस्थान	21.39	28.79	24.98	10.12	11.70	10.22
तेलंगाना	–	17.58	11.81	–	11.10	7.54
त्रिपुरा	3.12	1.36	0.31	1.71	0.70	0.17
उत्तर प्रदेश	7.01	6.80	8.44	8.77	8.71	8.05
उत्तराखंड	6.07	5.82	4.08	4.58	4.40	3.25

भारत में एक एवं दो अर्द्ध शिक्षकों (शिक्षामित्र) वाले विद्यालय

भारत में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सर्वशिक्षा अभियान ''2004 के तहत शिक्षको के मित्र बना कर की गई थी। जिससे वह उनके साथ कार्य कर सके तथा छात्रों का मार्गदर्शन किया जा सके व विद्यालय भी यथास्थिति में चलाये जा सके तथा विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक व नियमित हो और विद्यालय में कम से कम एक शिक्षामित्र 36 छात्रों पर रखे गये। शुरूआत मे प्रत्येक विद्यालय में एक अर्द्धशिक्षक (शिक्षामित्र) ही नियुक्त किया गया था। एक शिक्षामित्र वाले विद्यालय राज्यों के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में थे। अकेले उत्तर प्रदेश मे ऐसे 62 प्रतिशत विद्यालय है जहॉ एक एवं दो शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई है ग्रामीण तथा नगरीय

शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.II, pp (841-846) April - June 2019

ी संख्या	
5	2015–16
	4.18
	0.00
	4.02
	1.24
	0.83
	0.17
	6.98
	1.27
	3.62
	4.57
	3.34
	5.00
	0.84
	12.45
	1.98
	5.18
	2.91
	0.00
	4.60
	10.22
	7.54
	0.17
	8.05
	3.25

क्षेत्र दोनो, शिक्षामित्रों वाले विद्यालय है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षामित्रों की संख्या 40 प्रतिशत व नगरीय क्षेत्र में शिक्षामित्रों की संख्या 22 प्रतिशत है। जिसमे 23 प्रतिशत पुरूष शिक्षामित्र व 17 प्रतिशत महिला शिक्षामित्र ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है तथा नगरीय में 12 प्रतिशत पुरूष शिक्षामित्र व 10 प्रतिशत महिला शिक्षामित्र नियुक्त है।

प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों और अर्द्ध शिक्षकों (शिक्षामित्र) की दशा

भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य प्रचलित है ''तमसो मा ज्योतिगमय'' इसका अर्थ है अन्धेरे से उजाले की ओर जाना। इस प्रक्रिया को वास्तविक अर्थ पूरा करने के लिए शिक्षा, शिक्षक और समाज तीनों की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय समाज में जहॉ शिक्षा को शरीर, मन और आत्मा के विकास का साधन माना गया है। वही शिक्षक को समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। महार्षि अरविन्द घोष के शब्दों में ''शिक्षक राष्ट्र की संस्कषति के चतुर माली होते है'' शिक्षक राष्ट्र में खाद देते है। और अपने श्रम से सींच कर उन्हें शक्ति में निर्मित करते है। महर्षि अरविन्द धोष का मानना था कि किसी राष्ट्र के वास्तविक निर्माता उस देश के शिक्षक होते है। भारत में शिक्षण कार्य को समाज एवं राश्ट्र निर्माण का कार्य माना जाता रहा है। आयोग में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान भारत का निर्माण उसकी कक्षाओ में हो रहा है। इसी प्रकार नई राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986 में शिक्षकीय महत्व को इस प्रकार रेखांकित किया गया है कि कोई भी राष्ट्र शिक्षकों के स्तर से ऊॅचा नही हो सकता है। इन आदर्श वाक्यों से शिक्षको की वर्तमान स्थिति में काफी अतंर आ गया है। समाज एवं शास्त्रों में भी गुरू गरिमा को अलौकिक स्तर देकर काफी ऊॅचा उठा लिया है लेकिन व्यावहारिक स्तर में मास्टर, शिक्षाकर्मी तथा संविदा शिक्षको की स्थिति उपेक्षा पूर्ण तनाव ग्रस्त अधिक है क्योकि वर्तमान पंचायतीकरण, भ्रष्ट अफसर शाही तथा उचित संगठनों के अभाव में शिक्षकीय गरिमा काफी उपेक्षित हुई है। आधुनिक समय में केवल निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के शिक्षक तथा शिक्षामित्र ही कार्यरत नही हैं, वरन् उच्च व मध्यम वर्ग के शिक्षक तथा शिक्षामित्र भी कार्यरत हैं। शिक्षक तथा शिक्षामित्र धीरे–धीरे यह महसूस करने लगे हैं, कि मानव रूप में उनका भी निजी अस्तित्व हैं। उनके जीवन का लक्ष्य केवल रोटी, कपड़ा एवम् मकान तक ही सीमित नही हैं, अपितु वह यह भी समझने लगे हैं कि वे नागरिक समुदाय की स्वतंत्र व सगंठित ईकाई है।आज समाज में सभ्य, विकसित व आधुनिक बनने की होड़ तथा बदलते हुए सामाजिक–आर्थिक मूल्यों ने ना केवल पुरूष बल्कि महिला शिक्षक तथा शिक्षामित्र को भी किसी सीमा तक इस दौड़ में षामिल किया हैं। वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय एवं समानता को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिये। एक और शिक्षक का शिक्षार्थियों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति जबाबदेही तो दूसरी और राष्ट्र की भी सरकार के माध्यम से यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सुयोग्य शिक्षकों का चयन करे और उन्हें सम्मानजनक वेतन प्रदान करे। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को सर्वोपरि सम्मान दिया गया है। आज कतिपय कारणों से उसमें न्यूनता आ रही है। जिसे दूर करना ही श्रेयकर होगा। तनाव रहित शिक्षक तथा शिक्षामित्र ही आनंद अधिगम को अभिप्रेरित कर पायेंगे तथा उनका शिक्षण कार्यक्रम एवं वातावरण समायोजन श्रेष्ठ होगा। वह उल्लासपूर्ण ढगं से शिक्षण कार्य को सृजनात्मकता प्रदान

कर सकते हैं जिससे राष्ट्र निर्माण में मौलिक उददेश्यों की सहज संप्राप्ति होगी।

सारांश यही है कि यदि हमें अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की उन्नति करनी है तो हमें प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना ही होगा। सर्व शिक्षा अभियान, मध्यांहन भोजन योजना और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य विद्यालयों में दाखिला और उपस्थिति बढ़ाना है। यहाँ अध्यापकों की कमी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे सबसे पहले हल किया जाना आवश्यक है। सरकार ने विद्यालयों मे शिक्षामित्रों की नियुक्ति कर इस समस्या का कुछ हद तक समाधान दिया है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1 नाथ. अमितव. (2004).पैरा टीचर्स इन एलीमेन्ट्रेरी एजुकेशन. पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन,वॉल्यूम 20(3),

2 षुक्ला, एस. (2014). टीचिंग कॅम्पीटेन्सी, प्रोफेशनल कमीटमेंट एण्ड जॉब संटिस्फैक्षन–ए स्ट्डी ऑफ प्राईमरी स्कूल टीचर्स, जर्नल्स ऑफ रिसर्च एण्ड मैथडइन एजुकेशन, वॉल्यूम 4(3), पृ. 44–64.

3 अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण., (2015).एलीमेन्ट्रेरी एजुकेशन इन इण्डिया प्रोगेरस टूर्वाड यू.ई.ई.,नई दिल्लीः नेशनल युनिवर्सिटी आफॅ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन